39

52

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

का.आ.सं.- 11/विविध-3-1/2009----------/पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या- 2, बटेश्वरस्थान कहलगाँव के निविदा आमंत्रण संख्या- 4/08-09 द्वारा बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजनान्तर्गत "हरिश्चन्द्रपुर वितरणी के वि0दू0 0.00 से वि0दू0 69.10 तक संरचना एवं मिट्टी कार्य" का निविदा आमंत्रित किया गया था । इस निविदा में पाँच निविदा दाताओं द्वारा भाग लिया गया । निविदित कार्य का परिणाम विपत्र को राशि रु0 1082.00 लाख थी ।

2- इस निविदा की तकनीकी बीड पर दिनांक- 13.1.2009 को आयोजित विभागीय निविदा समिति द्वारा विचार किया गया एवं विचारोपरान्त (i) मेसर्स माँ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, औरंगाबाद एवं (ii) मेसर्स जे0के0एम0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, सी. 84, ग्रेटर कैलाश- 1, नई दिल्ली के तकनीकी बीड को मान्य करने का निर्णय लिया गया ।

3- उपर्युक्त निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा दिनांक- 3.2.2009 को दोनों मान्य निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोला गया एवं पाया गया कि मे0 माँ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, औरंगाबाद द्वारा वित्तीय बीड में 7.26% अनुसूचित दर से कम एवं मे0 जे0के0एम0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय बीड में 5% अनुसूचित दर से कम दर अंकित किया गया था ।

4- दिनांक- 20.2.2009 को आयोजित विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदादाता के वित्तीय बीड पर विचार किया गया एवं विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मे0माँ जगदम्बिका प्रा0लि0, औरंगाबाद को उनके द्वारा निविदित दर 7.26% प्रतिशत अनुसूचित दर से कम दर पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार कार्यपालक अभियंता द्वारा सफल निविदादाता के साथ दिनांक- 14.3.2009 को एकरारनामा संख्या- 2/एस0बी0डी0/08-09 एकरारित किया गया ।

(51) (38)

उपरोक्त कार्य आवंटन के विरूद्ध निगरानी विभागीय के पत्रांक- 42 (नि0गो0) दिनांक- 11.2.2009 प्राप्त हुआ । निगरानी विभाग से प्राप्त परिवाद पत्र के पश्चात् अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 38/मध्य, दिनांक- 18.3.2009 द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, बिहार एवं झारखंड, पटना से मे0 मॉ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, औरंगाबाद द्वारा वर्ष 2003- 2004 से लेकर अद्यतन दाखिल किये गये बैलेंस शीट तथा प्रोफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट (Profit & Loss Account) की अभिप्रमाणित प्रति की माँग की गई । दिनांक 18.3.2009 को ही रजिस्ट्रार कम्पनीज द्वारा उक्त संवेदक के द्वारा दायर किये गये रिटर्न वर्ष 2003- 04 एवं वर्ष- 2004- 05 उपलब्ध कराया गया । जिसमें संवेदक द्वारा 03-04 में निविदा के साथ दायर, अंकित टर्न ओभर रु0 2,40,17,073.00 के स्थान पर 1,40,17,073.00 तथा वर्ष 04-05 में अंकित टर्न ओभर 3,72,61,701.00 के स्थान पर 1,72,61,701.00 पाया गया । कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 05-06, 06-07 एवं 07-08 का रिटर्न उक्त कम्पनी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है ।

5- संवेदक द्वारा निविदा के साथ समर्पित टर्न ओभर एवं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से प्राप्त टर्न ओभर का मिलान करने पर स्पष्ट रूप से भिन्नता पाई गई, जिसपर दिनांक- 19.3.2009 को आयोजित विभागीय निविदा समिति द्वारा विचार किया गया तथा पूर्ण विचारोपरान्त पाया गया कि मे0 मॉ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, औरंगाबाद द्वारा धोखाधड़ी एवं फोर्ज अभिलेख दिया गया है । जबकि निविदा के साथ समर्पित शपथ-पत्र में सभी अभिलेख के सही होने का प्रमाण देने के आधार पर निविदा का निष्पादन किया गया था, को गलत पाया गया । विभागीय निविदा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटित कार्य के एकरारनामा की कंडिका- 14 एवं I.T.B. की कंडिका- 33 के अनुसार एकरारनामा को पूर्णतः रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया एवं निबंधन नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत मे0 मॉ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, औरंगाबाद के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय किया गया । विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक- 19.3.2009 को लिए गये निर्णय के आलोक में सम्बंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा सम्वेदक के साथ किये गये एकरारनामा को उनके पत्रांक- 239 दिनांक- 27.3.2009 द्वारा रद्द किया गया ।

6- उपरोक्त विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक- 19.3.09 के लिये गये निर्णय के विरूद्ध सम्वेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0- 4014/09 दायर किया गया ।

उक्त याचिका में संवेदक द्वारा पृथक शपथ-पत्र के साथ वर्ष 2006-07 का इनकम टैक्स, गया से प्राप्त टर्न ओभर को अभिप्रमाणित प्रति समर्पित किया गया, जिसका मिलान संवेदक द्वारा निविदा के अभिलेख के साथ समर्पित 2006-07 के टर्न ओभर से किया गया । दोनों टर्न ओभर का मिलान करने पर टर्न ओभर तो समान पाया गया, लेकिन कई प्रविष्टियों में भिन्नता पाई गई जबकि दोनों (Profit & Loss Account) एक ही चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा एक ही तिथि को बनाया गया है, फिर भी अनेक प्रविष्टि में अन्तर पाया जाना सन्देहास्पद है ।

उपरोक्त याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0- 4014/09 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 16.12.09 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में मे0 माँ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, औरंगाबाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक- 6.1.2010 को अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया ।

7- दिनांक- 6.1.2010 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में उपरोक्त निविदा के साथ समर्पित वर्ष 2006-2007 के प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट तथा इनकम टैक्स ऑफिस, गया से प्राप्त प्रोफीट एण्ड लॉस एकाउन्ट के प्रविष्टियों में अन्तर एवं वर्ष 2003- 04 एवं वर्ष 2004-05 के प्रोफीट एण्ड लॉस एकाउन्ट में अन्तर के सम्बंध में सम्बेदक एवं इनके अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर प्रविष्टयों में अन्तर का कोई भी स्पष्ट एवं संतोष-प्रद कारण समिति को नहीं बताया गया ।

8- सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक- 19.03.09 को विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत् रखते हुए मे0 माँ जगदम्बिका कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, औरंगाबाद को धोखाधड़ी एवं गलत टेन्डरिंग के लिए दोषी पाते हुए इनके निबंधन को कालीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

9- इस सम्बंध में विभागीय पत्रांक- 238, दिनांक- 25.1.2010 एवं पत्रांक- 481 दिनांक- 17.02.10 द्वारा संवेदक को उनके निबंधन संख्या-1/एस-84/2006 को कालीकृत करने के सम्बंध में एक पक्ष के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया । उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक- 11.2.2010 द्वारा दिनांक- 28.2.2010 तक समय हेतु अनुरोध के बावजूद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया ।

अतः मे0 माँ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, करमा रोड़, औरंगाबाद के निबन्धन संख्या-1/एस0-84/2006 को बिहार इनलिस्टमेन्ट ऑफ कन्ट्रेक्टर्स रूल्स- 1992 को कंडिका 18(11) एवं

(39) (36)

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11(Vii) के अधीन कालीकृत किया जाता है ।

(देवी रजक) 16/03/10
अभियंता प्रमुख(मध्य)
जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि मेसर्स माँ जगदम्बिका कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, करमा रोड, औरंगाबाद (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित ।

(देवी रजक) 16/03/10
अभियंता प्रमुख(मध्य)
जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- १५२५ पटना, दिनांक- १६.३.१०

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ निदेशक, कंस भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देवी रजक) 16/03/10
अभियंता प्रमुख(मध्य)
जल संसाधन विभाग ।